NOTICE

In furtherance of the earlier notices issued in this regard, prescribing measures for combating COVID-19 pandemic and in compliance of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court of India on 06.04.2020 in Suo Motu Writ (Civil) No.5/2020, Re: Guidelines for Court functioning through video conferencing during covid-19 pandemic, for taking measures to reduce the need for physical presence of all stakeholders within the court premises, to secure the functioning of courts in consonance with social distancing guidelines and best public health practices and to adopt measures required to ensure the robust functioning of the judicial system through the use of video conferencing technologies, the competent authority has been pleased to direct that the functioning of the High Court shall be restricted to only urgent matters. For the purposes of enabling hearing of exceptionally urgent matters through video conferencing, it is notified as under:-

1. Mentioning of exceptionally urgent matters shall be made telephonically before the following officers of the Registry:-

   (i) Registrar General– (Mob.) 9431017412,
   (Office) 0612-2504111

   (ii) Registrar List - (Mob.) 9431821014,
   (Office) 0612-7158605

2. The mentioning shall be made telephonically before the aforesaid officers of the Registry on a Court working day, only in between 11:00 A.M. to 1:00 P.M., whereafter no call shall be entertained.

3. In respect of matter found extremely urgent by the Hon'ble the Chief Justice, the Registrar General shall immediately inform the Counsel for the petitioner or the petitioner (in case he is appearing in person) to immediately file appropriate applications/ petitions through scanned/ soft copies which may be sent on Email ID "efiling.phc-bih@gov.in".

4. In case such applications/ petitions, as aforesaid are not accompanied by a duly sworn Affidavit and/or Court fees, an undertaking shall be furnished by the Ld. Counsel/petitioner in person, to the effect that the same would subsequently be provided when called upon to do so.

5. In matters involving the state govt., a copy of the application/ petition shall also be sent on Email ID – "advocategeneralbihar@gmail.com".

6. In matters involving the union govt. and its departments, a copy of the application/ petition shall also be sent on Email ID – "sdsanjayasg@gmail.com".

7. After receipt of such applications/ petitions a temporary number will be assigned and regular case no. shall be assigned after resumption of regular working of the court.

8. Thereafter, the Registrar (List) shall immediately inform all concerned including the Ld. Counsel/party in person/ govt. counsel and the respective officials / staff of the registry about the date and time of proceeding of such matters, through Email or Phone.

9. The aforesaid matters shall then be heard by the mode of video conferencing by means of Virtual Courtrooms which have already been created. All concerned shall be sent a link with PIN to enable the stakeholders to get connected and facilitate consideration of the matter by video conference via "Vidyo" App, Skype, or any other application.

10. Intimation shall also be given to the Registrar (IT) about the hearing to enable him to ensure flawless and un-interrupted hearing of the case by video conferencing.

11. In case of any technical difficulty, the I/c. Registrar (IT)-Cum-CPC, can be contacted at **Mob. No. 9431025042**.

12. The Judicial order will be uploaded on the web site of this Hon'ble Court and the same shall also be communicated to the Ld. counsel/party in person/Govt. counsel through Email or phone. As far as bail orders are concerned, the same shall be communicated to the Ld. Judge/Magistrate concerned as well as to the Superintendent of the concerned Jail through Email or Phone.

13. For ensuring trouble free and seamless uploading and downloading of the petitions/applications, the number of pages be restricted to 12–15 pages or as less as practicable. Only relevant and important annexure may be uploaded.

14. The parties shall have to file the complete hard copies of the applications/ petitions/documents later on.

It is further notified that in view of aforesaid attending circumstance, as also in view of resolution dated 28-03-2020 of the co-ordination committee of three associations of Patna High Court, the present constitution of benches for 15-04-2020 will be as follows:-

1. Hon'ble D.B.I
2. Hon'ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad
3. Hon'ble Mr. Justice S. Kumar (after D.B. matters, if any)
4. Hon'ble Mr. Justice Madhuresh Prasad
5. Hon'ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah
6. Hon'ble Mr. Justice Anjani Kumar Sharan
7. Hon'ble Mr. Justice Anil Kumar Sinha

By order of Hon'ble the Chief Justice
Sd/-
(Manoj Kumar Sinha)
Registrar (List)

Patna High Court,
The 10th April, 2020

NOTICE

Take notice that the convicts in custody, in Criminal Revisions/Criminal Appeals, desirous of not challenging the judgement of conviction but confining the challenge only to the sentence, can get their cases listed on urgent basis by having their matters mentioned.

By order of Hon'ble the Chief Justice

Patna High Court,
The 20th March, 2020

Sd/-
(Manoj Kumar Sinha)
Registrar (List)

सूचना

इस संबंध में पूर्व में निर्गत सूचनाओं के अग्रसारण में तथा कोविड-19 (COVID-19) महामारी का सामना करने हेतु उपायों को निर्धारित करते हुए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः प्रेरणा याचिका (Suo Motu Writ) (सिविल) संख्या-05/2020 में दिनांक-06/04/2020 को दिए गए दिशा-निर्देश में COVID-19 की महामारी के दौरान Video Conferencing के माध्यम से न्यायालय कार्य संचालित करने, न्यायालय परिसर में हित धारकों (Stake holders) की भौतिक (सदेह) उपस्थिति की आवश्यकता को कम करने ताकि सामाजिक दूरी (social distancing) एवं अधिकतम जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर न्यायालय कार्य समुचित रूप से संचालित करना तथा Video Conferencing तकनीकों को अपनाकर न्यायालय संचालन के समुचित उपायों के द्वारा न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रयोजनों से सक्षम प्राधिकार यह निर्देश देते हैं कि उच्च न्यायालय का कार्य केवल अत्यावश्यक (urgent) मामलों तक ही सीमित रहेगा। Video Conferencing के माध्यम से असाधारण एवं अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई निम्नलिखित प्रकार से होगी :-

1. असाधारण एवं अत्यावश्यक मामलों का उल्लेख (mentioning) दूरभाष के माध्यम से निबंधन के निम्नलिखित अधिकारियों के समक्ष किया जा सकेगाः-
   (i) महानिबंधक - (मोबाईल) 9431017412, (कार्यालय) 0612-250411
   (ii) निबंधक लिस्ट - (मोबाईल) 9431821014, (कार्यालय) 0612-7158605
2. निबंधन के उपरोक्त पदाधिकारियों के समक्ष मामले का उल्लेख न्यायालय कार्य दिवस को केवल 11 बजे पूर्वाह्न से 01 बजे अपराह्न तक ही स्वीकार किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा पाए गए अत्यावश्यक मामलों में महानिबंधक, याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता अथवा याचिकाकर्त्ता (यदि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो) को अविलंब सूचित करेंगे कि वह स्कैन की गई / सॉफ्ट प्रतियों में अपने आवेदनों / याचिकाओं को विधिवत दाखिल करे जिसे E-mail ID "efiling.phc-bih@gov.in" पर भेजा जा सकता है।
4. यदि उपरोक्त आवेदनों / याचिकाकर्त्ताओं के साथ विधिवत शपथ-पत्र एवं / अथवा न्यायालय शुल्क संलग्न नहीं है तो विद्वान अधिवक्ता / व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले याचिकाकर्त्ता, के द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र दिया जाएगा कि माँग करने पर वे उसे उपलब्ध कराएँगे।
5. ऐसे मामले जिसमें राज्य सरकार शामिल हो, आवेदन / याचिका की एक प्रति E-mail ID पर भेजी जाएगी।
6. ऐसे मामले जिसमें केन्द्र सरकार एवं इसके विभाग शामिल हो, आवेदन / याचिका की एक प्रति E-mail ID पर भेजी जाएगी।
7. ऐसे आवेदनों / याचिकाओं की प्राप्ति के उपरान्त, एक अस्थायी संख्या (number) दी जाएगी तथा न्यायालय के कार्य नियमित रूप से प्रारम्भ होने के उपरान्त स्थायी वाद संख्या आवंटित की जाएगी।
8. तत्पश्चात्, निबंधक (लिस्ट) सभी संबद्ध / विद्वान अधिवक्ता / व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले पक्षकार / सरकारी अधिवक्ता तथा निबंधन के संबद्ध अधिकारीगण / कर्मचारीगण

को ऐसे मामलों की कार्यवाही की तिथि 7 एवं समय के बारे में E-mail अथवा फोन से अविलंब सूचित करेंगे।

9. उपरोक्त मामलों की सुनवाई Video conferencing के माध्यम से वास्तविक न्यायालय कक्ष (Virtual Court Room) के द्वारा की जाएगी जिसका सृजन किया जा चुका है। सभी संबद्ध व्यक्तियों / पक्षकारों को पिन के साथ लिंक भेजा जाएगा जिससे हितधारक (Stakeholders) उससे जुड़ सके ताकि उन्हें Video conferencing के माध्यम से 'Vidyo App, Skype अथवा अन्य माध्यम के द्वारा मामले के विचारण की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

10. निबंधक (IT) को भी उक्त सुनवाई की सूचना दी जाएगी ताकि मामले की सुनवाई Video conferencing द्वारा त्रुटिविहीन एवं निर्बाधित होना सुनिश्चित किया जा सके।

11. किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर प्रभारी निबंधक (IT)–सह–सी.पी.सी. से मोबाईल संख्या – 9431025042 पर संपर्क किया जा सकता है।

12. न्यायिक आदेश माननीय न्यायालय के website पर upload किया जाएगा तथा इसे विद्वान अधिवक्ता / व्यक्तिगत पक्षकार / सरकारी अधिवक्ता को E-mail अथवा फोन पर सूचित किया जाएगा। जहाँ तक जमानत आदेश का संबंध है, इसे संबद्ध न्यायाधीश / दंडाधिकारी तथा संबंधित काराधीक्षक को E-mail एवं फोन पर सूचित किया जाएगा।

13. आवेदनों / याचिकाओं के निर्बाधित एवं सीवन विहीन (seamless) uploading एवं downloading हेतु पृष्ठों की संख्या 12 से 15 तक और कम से कम जो भी हो, तक सीमित किया जायेगा। केवल सुसंगत एवं महत्वपूर्ण संलग्नक ही upload किए जाएँ।

14. पक्षकारों को याचिकाओं / आवेदनों / कागजातों की संपूर्ण hard प्रतियों को बाद में दाखिल करना होगा।

यह भी अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा पटना उच्च न्यायालय के तीनों संघों के समन्वय समिति के संकल्प दिनांक–28.03.2020 के मद्देनजर दिनांक–15.04.2020 के लिए वर्त्तमान न्यायपीठ का गठन निम्न प्रकार होगा :–

1. माननीय खंडपीठ–1
2. माननीय न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद
3. माननीय न्यायाधीश एस0 कुमार (खंडपीठ मामलों के बाद, यदि कोई हो)
4. माननीय न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद
5. माननीय न्यायाधीश मोहित कुमार शाह
6. माननीय न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण
7. माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार

ह0/–
मनोज कुमार सिन्हा
निबंधक (लिस्ट)

पटना उच्च न्यायालय
10 अप्रील 2020

सूचना

ध्यान दें कि आपराधिक पुनरीक्षण/ आपराधिक अपील में सिद्धदोष (convicts) जो अभिरक्षा (custody) में हैं, तथा दोषसिद्धि (conviction) के निर्णय को चुनौती न देकर केवल सजा को चुनौती देना चाहते हैं, वे अपने मामले का उल्लेख करवाकर उसको सूचीबद्ध (listed) करा सकते हैं।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार

ह0/–

मनोज कुमार सिन्हा

निबंधक (लिस्ट)

पटना उच्च न्यायालय

31 मार्च 2020